न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– हुक्मीचन्द रोहलानियॉ, (R.A.S.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 71/2024 (GCMS 2024/157)

प्रार्थीगण

1. श्रवणराम पुत्र रेखाराम जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील कुचामनसिटी
2. चन्द्राराम पुत्र रेखाराम जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील कुचामनसिटी
3. रतनाराम पुत्र रेखाराम जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील कुचामनसिटी

बनाम

अप्रार्थीगण

1. परमाराम पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी श्रवणपुरा तहसील कुचामनसिटी
2. बलवीर पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी श्रवणपुरा तहसील कुचामनसिटी
3. सरोज देवी पत्नि परमाराम जाति जाट निवासी श्रवणपुरा तहसील कुचामनसिटी
4. गोविन्दराम पुत्र सेवाराम जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील कुचामनसिटी
5. ईश्वरराम पुत्र रेखाराम जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील कुचामनसिटी
6. रामेश्वरलाल पुत्र रेखाराम जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील कुचामनसिटी
7. गोपाल राम पुत्र रेखाराम जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील कुचामनसिटी
8. भंवरलाल पुत्र रेखाराम जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील कुचामनसिटी
9. छोटी देवी पुत्री रेखाराम जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील कुचामनसिटी
10. भागा देवी पुत्री रेखाराम जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील कुचामनसिटी
11. इन्द्रा देवी पुत्री रेखाराम जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील कुचामनसिटी
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामनसिटी

प्रार्थना–पत्र – राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 251 ए के तहत अन्य खातेदारी की जोत में से होकर नया मार्ग खोलने के लिये आवेदन

उपस्थित – श्री श्यामलाल कुमावत अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
श्री योगेश कुमार कुमावत अप्रार्थी सं. 1 से 3 की ओर से।

आदेश

दिनॉक :–05/09/2024

प्रस्तुत प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम शिवदानपुरा पटवार मण्डल दीपपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन राज. की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 112 रकबा 3.07 हैक्टर में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. 5 ता 11 काबिज सहखातेदार काश्तकार है [illegible] के लिए रास्ता ग्राम शिवदानपुरा के खसरा नम्बर 247/112 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 110 रकबा 2.47 हैक्टर, खसरा नम्बर 254/109 रकबा 0.03 हैक्टर व खसरा नम्बर 109 रकबा 1.63 हैक्टर की उत्तरी सींव पर पश्चिम से पूर्व की ओर 6 मीटर चौड़ाई में खसरा नम्बर 112 की पश्चिमी सींव में आने–जाने के लिये एवं कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर एवं मवेशियान आदि को लाने–ले जाने के लिए मार्ग की आवश्यकता है इसलिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए मार्ग की अनुज्ञा के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। चाहे गये मार्ग का नजरी नक्शा जो परिशिष्ट " क " है जिसको प्रार्थना–पत्र का अभिन्न अंग बताया है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.09.09 16:34:59 IST
Reason: SelfAttested

उक्त खसरा नम्बर 112 में आने जाने के लिए ग्राम शिवदानपुरा के गैर मुमकिन कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 108 से प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 5 ता 11 के खेत खसरा नम्बर 112 में आने–जाने के लिए आवेदकगण के खेत के पश्चिमी दिशा में स्थित खेत खसरा नम्बर 247/112, 110, 254/109 व 109 की उत्तरी सींव के सहारे–सहारे पश्चिम से पूरब 6 मीटर चौड़ा रास्ता आने–जाने हेतु अत्यधिक आवश्यक है, पूर्व में इसी खेत खसरा नम्बर 247/112, 110, 254/109 व 109 में से आवागमन था, परन्तु खेत खसरा नम्बर 247/112, 110, 254/109 व 109 के खातेदारान अप्रार्थीगण ने उसे बन्द कर दिया है इसलिए आवेदकगण के खेत में आने–जाने एवं मवेशियान व कृषि कार्य के लिए ट्रेक्टर आदि लाने–ले जाने के लिए कोई अन्य रास्ता नही है व परस्पर सहमति से खेत खसरा नम्बर 247/112, 110, 254/109 व 109 के खातेदारान अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 रास्ता देने को तैयार नही है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खेत में जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। कटाणी रास्ते से सबसे नजदीक यही रास्ता पड़ता है। खसरा नम्बर 112 की खातेदार बालीदेवी पत्नि रेखाराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिसान प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 5 ता 11 पक्षकारा मुकदमा बनाया गया है तथा अप्रार्थी सं. 5 ता 11 बाहर रहने के कारण उन्हे अप्रार्थी पक्षकार बनाया गया है। नजरी नक्शा में बिन्दू संख्या ए से बी रास्ता बताया गया है। प्रार्थीगण की इस्तदुआ है प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर नया मार्ग (रास्ता) ग्राम शिवदानपुरा के खसरा नम्बर 112 में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 247/112, 110, 254/109 व 109 में से परिशिष्ट " क " मे मार्ग ए से बी दर्शाया गया है को मार्ग के रूप में उपलब्ध करवाया जाकर इस रास्ते के क्षेत्रफल की भूमि पर खसरा नम्बर 247/112, 110, 254/109 व 109 के खातेदारी की खातेदारी निर्वासित घोषित कर उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में अभिलिखित की जावें, प्रार्थीगण निर्धारित मुआवजा राशि खसरा नम्बर 247/112, 110, 254/109 व 109 के खातेदारान (अप्रार्थी 1 ता 4) को अदा करने के लिए तैयार है।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटीस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थित होकर कहा कि वह जवाब प्रस्तुत नही करना चाहते है तथा प्रार्थना–पत्र स्वीकार है जो आदेशिका पर अंकित कर अपनी हस्तलिपि से लिखकर अपने हस्ताक्षर किये किये । अप्रार्थी सं. 4 एवं 11 बावजूद इतला अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरूद्ध एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार कुचामनसिटी के पत्रांक/राज[illegible]/1091 दिनॉक 08.08.2024 द्वारा पटवारी हल्का दीपपुरा एवं [illegible] तैयार मौका रिपोर्ट दिनॉक 29.07.2024 को तैयार सुदा इ[illegible] मौखिक साक्ष्य में पक्षकारान की ओर से चालू जमाबंदी नकल सम्वत 2076–20[illegible] खाता खं. 95 एवं 126 नक्शा ट्रेस की नकल प्रस्तुत हुई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.09.09 15:34:59 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार कुचामनसिटी अपने पत्रांक/राजस्व/2024/1091 दिनॉक 08.08.2024 द्वारा पटवारी हल्का दीपपुरा एवं भू.अ.निरीक्षक पांचवा द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट दिनॉक 29.07.2024 प्रस्तुत कर कथन किया है कि उपरोक्त भूमि का मौका देखा गया तथा नजरी

अधिकारी

नक्शा तैयार किया गया, जिसके अनुसार निम्नलिखित खसरान में से रास्ते के लिए भूमि उपयोग में आयेगी :–

(1)– ख.न. 109 मे से 15 मी. X 11 मी. +110 मी. X 6 मी. = 825 व. मीटर = 0.0825 है.

(2)– ख.न. 254 / 109 मे से 3 मी. X 6 = 18 व. मीटर = 0.0018 हैक्टर

(3)– ख.न. 110 मे से 168 मी. X 6 मी. = 1008 व. मीटर = 0.1008 हैक्टर

(4)– ख.न. 247 / 112 मे से 7 मी. X 6 मी. +190 मी. X 3 मी. = 612 व.मीटर =0.0612 है.

(5)– ख.न. 112 मे से 196 मी. X 3 मी . = 588 व. मीटर = 0.0588 हैक्टर प्रस्तावित रास्ते की कुल भूमि 0.3054 हैक्टर है। नजरी नक्शे में दर्शित ABCDEF पर तारबन्दी की हुई है तथा मौके पर वर्तमान मे रास्ता चालू है। खसरा नम्बर 248 / 113 में पहुंच का अन्य वैकल्पिक रास्ता नही है। खसरा नम्बर 109, 254 / 109, 110, 247 / 112, 112 निजी खातेदारी में दर्ज है। जमाबंदी नकल अनुसार गोविन्दराम पुत्र सेवाराम जाट का हिस्सा ICICI बैंक शाखा कुचामनसिटी व परमाराम पुत्र धन्नाराम बलवीर पुत्र धन्नाराम व सरोजदेवी पत्नि परमाराम हिस्सा PNB शाखा कुचामनसिटी के रहन दर्ज है, संबधित बैंको को पक्षकार नही बनाया गया है।

उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई, प्रार्थीगण वकील ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित मांग अनुसार एंव फर्द मौका रिपोर्ट दिनॉक 29.07.2024 में अंकित ग्राम शिवदानपुरा के खसरा नम्बर 109, 254 / 109, 110, 247 / 112, 112 में उक्त अनुसार रास्ता कायम किये जाने का निवेदन किया है। अप्रार्थी वकील 1 से 3 ने मौका रिपोर्ट दिनॉक 29.07.2024 में अंकित अनुसार रास्ता दिये जाने का कथन किया

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्षकारान द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 112 में आने जाने हेतु ग्राम शिवदानपुरा पटवार मण्डल दीपपुरा तहसील कुचामनसिटी खसरा नम्बर खसरा नम्बर 109, 254 / 109, 110, 247 / 112, 112 मे से रास्ता चाहा गया है, जिसके लिय मुआवजा राशि राज्य सरकार द्वारा जारी डी.एल.सी. दर एवं निर्देशो अनुसार अदा करने को तैयार है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा एवं ऑनलॉइन शीट का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते की भूमि खसरा नम्बर मौका रिपोर्ट दिनॉक 29.07.2024 में भी पटवारी हल्का एवं नि.भू.अ.द्वारा रास्ता बाबत 109, 254 / 109, 110, 247 / 112, 112 में से प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने हेतु नजरी नक्शा में दर्शाया है जिसके अनुसार भूमि रास्ते बाबत उपयोग में लिये जाने एवं सरकारी रास्ता दर्ज किये जाने का कथन किया है तथा नजरी नक्शे में दर्शित ABCDEF पर तारबन्दी की हुई है तथा मौके पर वर्तमान में रास्ता चालू बताया है, प्रार्थीगण अधिवक्ता के द्वारा किये गये कथन बहस अनुसार खसरा नम्बर 112 में आने जाने एवं वर्तमान में मौके पर रास्ता चालू होने फर्द मौका अनुसार साबित होते है। फर्द मौका रिपोर्ट दिनॉक 29.07.2024 मे दर्शित रास्ता ग्राम शिवदानपुरा पटवार मण्डल दीपपुरा तहसील कुचामनसिटी के निम्नलिखित खसरान में से रास्ता प्रार्थीगण को दिया जाना न्यायिक दृष्टि से उचित प्रतीत होता है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.09.09 15:34:59 IST
Reason: SelfAttested

(1)– ख.न. 109 मे से 15 मी. X 11 मी. +110 मी. X 6 मी. = 825 व. मीटर = 0.0825 है.
(2)– ख.न. 254/109 मे से 3 मी. X 6 = 18 व. मीटर = 0.0018 हैक्टर
(3)– ख.न. 110 मे से 168 मी. X 6 मी. = 1008 व. मीटर = 0.1008 हैक्टर
(4)– ख.न. 247/112 मे से 7 मी. X 6 मी. +190 मी. X 3 मी. = 612 व.मीटर =0.0612 है.
(5)– ख.न. 112 मे से 196 मी. X 3 मी. = 588 व. मीटर = 0.0588 हैक्टर प्रस्तावित रास्ते की कुल भूमि 0.3054 हैक्टर है।

प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण ग्राम शिवदानपुरा पटवार मण्डल दीपपुरा तहसील कुचामनसिटी खसरा नम्बर खसरा 112 में आमद रफत एवं आने जाने व मवेशी, गाड़ी ट्रेक्टर इत्यादि लाने ले जोन के लिए फर्द मौका दिनॉक 29.07.2024 अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में पहुंचने तक सही रहेगा। जिसकी पुष्टि मौका रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि से होती है, अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है। कि वह आदेश अनुसार राजस्व रेकार्ड में सरकारी रास्ता दर्ज कर पालना करे।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम शिवदानपुरा पटवार मण्डल दीपपुरा तहसील कुचामनसिटी खसरा नम्बर खसरा 112 में आमद रफत एवं आने जाने व मवेशी, गाड़ी ट्रेक्टर इत्यादि लाने ले जाने के लिए फर्द मौका दिनॉक 29.07.2024 अनुसार
(1)– ख.न. 109 मे से 15 मी. X 11 मी. +110 मी. X 6 मी. = 825 व. मीटर = 0.0825 है.
(2)– ख.न. 254/109 मे से 3 मी. X 6 = 18 व. मीटर = 0.0018 हैक्टर
(3)– ख.न. 110 मे से 168 मी. X 6 मी. = 1008 व. मीटर = 0.1008 हैक्टर
(4)– ख.न. 247/112 मे से 7 मी. X 6 मी. +190 मी. X 3 मी. = 612 व.मीटर =0.0612 है.
(5)– ख.न. 112 मे से 196 मी. X 3 मी. = 588 व. मीटर = 0.0588 हैक्टर प्रस्तावित रास्ते की कुल भूमि 0.3054 हैक्टर भूमि राजकीय कटाणी रास्ता घोषित किया जाता है। तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेशित किया जाता है कि उक्त रास्ते के एवज में प्रार्थीगण से नियमानुसार नवीनतम प्रचलित डी.एल.सी. दर की दोगुनी राशि राजकोष में जमा करवाने पर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में गै.मु.रास्ता अमल दरामद कर नक्शे में तरमीम करें एव उक्त राशि को अप्रार्थी 1 से [illegible] अनुसार उसके हक हिस्से की कम हुई भूमि के एवज में अदा करें। मौका रिपोर्ट [illegible] आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। तहसीलदार कुचामनसिटी को [illegible]

आदेश आज दिनॉक 05/09/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.09.09 15:34:59 IST
Reason: SelfAttested

(हुक्मीचन्द रोहलानियॉं,**RAS**)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना कुचामन)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना–कुचामन)राज.

क्रमांक/कोर्ट/2024/185 दिनॉक :–05/09/2024

प्रेषित :– तहसीलदार
कुचामनसिटी

विषय :– राजस्व प्रार्थना–पत्र सं. 71/2024 **GCMS No. 2024/157** श्रवणराम बनाम परमाराम शिवदानपुरा वगैरह रास्ता दिलाने बाबत में पारित आदेश की पालना बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय के राजस्व प्रार्थना–पत्र सं. 71/2024 **GCMS No. 2024/157** श्रवणराम बनाम परमाराम शिवदानपुरा वगैरह रास्ता दिलाने बाबत से संबंधित आदेश पारित किया गया है। जिसकी छाया प्रति भिजवाई जा रही है। माफिक आदेश पालना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

संलग्न :– आदेश की प्रति

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना–कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.09.09 15:34:59 IST
Reason: SelfAttested